

प्रकरण क्रमांक आरसीटी 190 / 2026

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक : 27.02.2026 को घोषित)

1. अभियुक्त राहुल साकेत के विरुद्ध बीएनएस की धारा 281 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 56/192, 115/190(2) तथा अभियुक्त नारेन्द्र कुमार यादव के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 56/192, 115/190(2) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है।
2. अभियुक्तगण ने आरोपित अपराध स्वेच्छया स्वीकार किया। अभियुक्तगण की उक्त स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त राहुल साकेत के विरुद्ध बीएनएस की धारा 281 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 56/192, 115/190(2) तथा अभियुक्त नारेन्द्र कुमार यादव के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 56/192, 115/190(2) के दण्डनीय अपराध से दोषसिद्ध किया जाता है।
3. अभियुक्तगण के दंड पर विचार किया गया। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है और अभियुक्तगण स्वेच्छया अपराध स्वीकार किया गया है। अतः अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्तगण को उक्त के अपराध के लिए उपरोक्त दोषसिद्धी के लिए निम्नानुसार दण्डित किया जाता है :-

अभियुक्त का नाम	धारा	कारावास	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम में कारावास दिवस
राहुल साकेत	281	न्यायालय उठने तक की सजा	1,000	07 दिवस
	56/192	निरंक	2,000	14 दिवस
	115/190(2)	निरंक	10,000	30 दिवस
नारेन्द्र कुमार यादव	56/192	निरंक	2,000	14 दिवस
	115/190(2)	निरंक	10,000	30 दिवस

4. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मय दस्तावेज को वाहन स्वामी के पक्ष में रिहा किया जाये। अपील होने की दशा में जप्त संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

शिवचरण पटेल

शिवचरण पटेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिंगरौली मुख्या. वैदहन (म.प्र.)

मेरे बोलने पर तैयार किया गया।

शिवचरण पटेल

शिवचरण पटेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिंगरौली मुख्या. वैदहन (म.प्र.)

